

खान मंत्रालय
मांग संख्या 65
खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1039.68	36.29	1075.97	1054.65	158.84	1213.49	1301.65	111.84	1413.49	1899.30	170.22	2069.52
वसूलियां	-1.14	...	-1.14	-100.00	...	-100.00	-400.00	...	-400.00
प्राप्तियां
निवल	1038.54	36.29	1074.83	1054.65	158.84	1213.49	1201.65	111.84	1313.49	1499.30	170.22	1669.52
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	24.62	...	24.62	36.55	...	36.55	35.63	...	35.63	43.58	...	43.58
2. भारतीय खान ब्यूरो	89.73	...	89.73	61.93	...	61.93	62.42	...	62.42	88.27	...	88.27
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	642.05	...	642.05	598.87	...	598.87	628.87	...	628.87	603.75	...	603.75
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	756.40	...	756.40	697.35	...	697.35	726.92	...	726.92	735.60	...	735.60
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायत्त निकायों को सहायता	22.69	...	22.69	28.49	...	28.49	25.40	...	25.40	28.49	...	28.49
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को अनुदान	15.46	...	15.46	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	4.50	...	4.50
6. मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड	4.15	...	4.15	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	19.61	...	19.61	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	10.50	...	10.50
अन्य												
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	240.12	36.11	276.23	274.70	154.30	429.00	291.70	107.30	399.00	285.72	168.40	454.12
8. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	0.86	0.18	1.04	44.61	4.54	49.15	48.13	4.54	52.67	38.99	1.82	40.81
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलाप												
9. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00
10. कार्यक्रम घटक	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से पूरी की गई राशि	-100.00	...	-100.00	-400.00	...	-400.00
जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलाप	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00
12. वास्तविक वसूली	-1.14	...	-1.14

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	239.84	36.29	276.13	319.31	158.84	478.15	439.83	111.84	551.67	724.71	170.22	894.93
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	282.14	36.29	318.43	357.30	158.84	516.14	474.73	111.84	586.57	763.70	170.22	933.92
कुल जोड़	1038.54	36.29	1074.83	1054.65	158.84	1213.49	1201.65	111.84	1313.49	1499.30	170.22	1669.52
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1013.92	...	1013.92	993.27	...	993.27	1141.19	...	1141.19	1397.34	...	1397.34
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	24.62	...	24.62	36.55	...	36.55	35.63	...	35.63	43.58	...	43.58
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	36.29	36.29	...	153.36	153.36	...	106.36	106.36	...	167.52	167.52
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1038.54	36.29	1074.83	1029.82	153.36	1183.18	1176.82	106.36	1283.18	1440.92	167.52	1608.44
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	24.83	...	24.83	24.83	...	24.83	58.38	...	58.38
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	5.48	5.48	...	5.48	5.48	...	2.70	2.70
जोड़-अन्य	24.83	5.48	30.31	24.83	5.48	30.31	58.38	2.70	61.08
कुल जोड़	1038.54	36.29	1074.83	1054.65	158.84	1213.49	1201.65	111.84	1313.49	1499.30	170.22	1669.52

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. खनिज अन्वेषण निगम	...	22.50	22.50	...	21.40	21.40	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	400.66	400.66	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	876.09	876.09	...	2791.59	2791.59	...	1086.95	1086.95	...	1100.00	1100.00
4. अन्य निकाय	...	7.84	7.84	...	10.30	10.30	...	11.63	11.63	...	11.40	11.40
जोड़	...	1307.09	1307.09	...	3223.29	3223.29	...	1548.58	1548.58	...	1551.40	1551.40

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की निगरानी के प्रावधान भी शामिल है।
2. **भारतीय खान ब्यूरो:** आईबीएम के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु प्रावधान शामिल है।
3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** प्रावधान जीएसआई के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु है।
4. **स्वायत्त निकायों को सहायता:** विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त एवं वैज्ञानिक निकायों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान शामिल है। तीन स्वायत्त निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार स्कीमें एवं तीन स्वायत्त निकायों को एकवारगी अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के प्रावधान भी शामिल है।
5. **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को अनुदान:** प्रावधान आवश्यक सेवाओं के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति एवं अन्य के लिए है।
6. **मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड:** सरकार द्वारा कारपोरेशन को संबद्धतात्मक आधार पर विनिर्दिष्ट गवेषण परियोजना सरकार द्वारा निधिबद्ध की जाती है।
7. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है और इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।
8. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए हैं जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का सजीकरण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल है।
10. **कार्यक्रम घटक:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का गठन खान और खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग के तहत किया गया था। इस न्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण के प्रायोजनों से न्यास के द्वारा प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना है। खनन पट्टे का धारक या सम्भावित लाइसेंस सह खनन पट्टा न्यास को एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में अदा की गई 2 प्रतिशत रॉयल्टी के समकक्ष राशि अदा करेगा। एनएमईटी में प्रोद्भूत निधियों का उपयोग देश में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के प्रायोजन से भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के निधियन के लिए किया जाएगा।